प्रेस विज्ञप्ति
17.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय-II ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत 13.10.2026 को ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग तथा साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की जाँच के संबंध में **मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत और हैदराबाद स्थित 20 परिसरों** में तलाशी अभियान चलाया।

यह जाँच ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म **"ऑल पैनल एक्सचेंज"** (*allpanelexch.com*) और **एमजीएम91** से संबंधित दो मूल अपराधों पर आधारित है। इन मामलों में शिकायतकर्ताओं को धनराशि जमा करने के लिए प्रेरित किया गया और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की गई।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जाँच से स्थापित हुआ कि दोनों सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के पीड़ितों से एकत्र की गई धनराशि को विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित किया गया और अंततः पुणे स्थित एक ऐसी संस्था के बैंक खातों में प्राप्त किया गया, जिसकी स्थापना **राम यू. रामधानी** ने की थी। एडसम ने **"आईपैसा"** नामक एक आंतरिक भुगतान मध्यस्थ प्लेटफॉर्म विकसित किया था और उसका संचालन किया था। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी संचालित करने वालों तथा उनके एजेंटों, जिन्हें आंतरिक रूप से "चैनल पार्टनर्स/कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स" कहा जाता था, की ओर से 200 से अधिक मुखौटा/फ्रंट संस्थाओं को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इन संस्थाओं को आंतरिक रूप से "मर्चेंट्स" कहा जाता था।

जाँच में पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी प्लेटफॉर्मों के पीड़ितों से एकत्र की गई धनराशि को म्यूल बैंक खातों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। इन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के संचालकों तथा अपराध की आय को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की गई मुखौटा संस्थाओं की पहचान कर ली गई है। यह भी सामने आया है कि इन ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग प्लेटफॉर्मों के संचालन में शामिल कई व्यक्तियों को **दुबई स्थित व्यक्तियों** द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। इस सिंडिकेट को कुछ सहकारी बैंकों की सहायता भी प्राप्त थी, जिनके बैंकिंग ढाँचे का उपयोग अवैध धनराशि एकत्र करने तथा उसकी आगे लेयरिंग करने के लिए किया गया।

जाँच में यह भी स्थापित हुआ है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को मुख्यतः तीन माध्यमों से बाहर भेजा गया: पहला, **अधिक मूल्य दर्शाकर व्यापारिक लेन-देन के रूप में प्रच्छन्न विप्रेषणों** के माध्यम से; दूसरा, **कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की इकाइयों के नाम पर खोले गए म्यूल खातों से नकद निकासी** के माध्यम से; तथा तीसरा, **धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके** अपराध की आय को भारत से बाहर भेजने के माध्यम से।

तलाशी अभियान के दौरान अपराध की आय की लेयरिंग और धनराशि को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अन्य

साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के कई बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं।

इस मामले में ईडी इससे पूर्व पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुका है। ईडी ने एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक राम यू. रामधानी को भी गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय अवैध वित्तीय नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें ध्वस्त करने तथा पीएमएलए, 2002 का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।